

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 401 / 2022 दिनांक : 09.02.2022

श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (RJ0180), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम केसेज, जोधपुर दिनांक 24.01.2022 से 25.01.2022 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 22.01.2022 से 23.01.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. केसेज, जोधपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम केसेज, जोधपुर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 09.02.2022

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/22/2013/ 877

दिनांक : 09.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम केसेज, जोधपुर को उनके पत्रांक 08 दिनांक 27.01.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (RJ0180), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम केसेज, जोधपुर ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, सी.बी.आई. केसेज, जोधपुर ।

सहायक रजिस्ट्रार 9.2.2022